न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां

प्रकरण संख्या 66 / 15

दायरा दिनांक 01 / 12 / 2015

पीठासीन अधिकारी – श्री दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

1. गीताबाई पत्नि श्यामलाल जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बाराँ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. राजेन्दर पुत्र रामकिशन जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
2. जन्धु पुत्र रामकिशन जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 –लाऔलाद फौत
3. सुरती पत्नि रामकिशन जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
4. प्रहलाद पुत्र मनफूल जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
5. हरकेश पुत्र मनफूल जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
6. माखनदे पुत्री मनफूल जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 –लाऔलाद फौत
7. कस्ता पुत्री मनफूल जाति सहरिया निवासी पैनावदा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
8. मथरी पत्नि स्व. मनफूल जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
9. हरिओम पुत्र भोगीलाल जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
10. मिथलेश पुत्री भोगीलाल जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
11. टोटो पुत्री भोगीलाल जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
12. नरवदी पत्नि भोगीलाल जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
13. पना पुत्री सांवल्या जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 –लाऔलाद फौत

13 / 1.वावूलाल पुत्र सांवल्या जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

13 / 2.मिश्री पुत्र सांवल्या जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

13 / 3.श्यामकिशोर पुत्र स्व.घस्सी जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

13 / 4.राजेन्द्र पुत्र स्व.घस्सी जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

13 / 5.दक्खो पत्नि स्व.घस्सी जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

13 / 6.जसराम पुत्र गज्जू जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

13 / 7.मेहन्दा पत्नि स्व. गज्जू जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉं (राज०)

Scanned by CamScanner

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अन्तिम निर्णय दिनांक– 20/11/2019

उपस्थित– 1. श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक (वादी)
2. श्री प्रकाशचन्द्र नामदेव अभिभाषक
(प्रतिवादीगण क्रम 4,5,7,8,9,10,11,12,13/1,लगायत 13/5 की ओर से)
3.एकपक्षीय (प्रतिवादी क्रम 1,3,13/6,13/7)

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाकेग्राम बिहारीपुरा पटवार क्षेत्र गदरेटा तहसील शाहाबाद में आराजी ख. नं. 280/393 रकबा 6.14 बीघा स्थित है, उक्त विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादीक्रम 1 लगायत 12 के नाम हिस्सा 1/2 से, प्रतिवादीक्रम 13 के नाम हिस्सा 1/16 तथा वादीनी के नाम हिस्सा 7/16 से दर्ज है। वादीनी ने अपनी विवादित आराजी हिस्सा 7/16 मूल खातेदार सांवल्या वल्द माधो हिस्सा 1/2 के वारिसान प्रतिवादी 13/1 लगायत 13/7 से विधिवत क्रय कर दखल तथा कब्जा प्राप्त किया है और वहैसियत खातेदार अपनी क्रयशुदा हिस्सा आराजी पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करती चली आ रही है, जो उत्तरी है। वादीनी ने अपनी उक्त आराजी हिस्सा 7/16 को कडी मेहनत, धन व श्रम व्यय कर अत्यधिक उपजाऊ बना लिया है, परन्तु प्रतिवादीगण वादीनी को उसकी उक्त खातेशुदा विवादित हिस्सा आराजी में दखलन्दाजी कर रहें है और प्रतिवादीगण ने वादीनी की हंकी– जुती पडी विवादित आराजी हिस्से में हरिओम पुत्र काशीलाल किराड के बोर से पानी देकर धनिया बो दी है और जबरन अवैधानिक कब्जा कर लिया है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है, वादीनी ने प्रतिवादीगण से कहा तो वे लडाई झगडा करने व मारपीट करने को आमादा हो गये, वादीनी ने इसकी रिपोर्ट थाने में भी की थी परन्तु पुलिस ने सामलाती खाता दर्ज होने से वादीनी की कोई सहायता नहीं की, इस आशय की शिकायत वादीनी ने श्रीमान जिला कलेक्टर बारां से भी की, जो जांच तहसीलदार शाहाबाद को दी, जिस पर तहसीलदार जी ने न्यायालय में नियमित वाद पेश कर वादीनी को विवादित आराजी हिस्सा विभाजन कराने को कहा है। प्रतिवादीगण ताकतवर व झगडालू पृवृति के लोग है, जो वादीनी को काश्त नहीं करने दे रहे हैं और विभाजन कराने को भी तैयार नहीं है, दिनांक 25.11.15 को वादीनी ने प्रतिवादीगण से विभाजन कराने को कहा तो उन्होने साफ मना कर दिया, जिस पर वादीनी को वाद प्रस्तुत करने का कारण प्राप्त हुआ है। साथ ही अपनी विभाजन में प्राप्त हिस्सा आराजी में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी प्रतिवादीगण नही करें इस हेतु वादीनी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने की हकदार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादी क्रम 13/1, 13/2, 13/6, 13/7 की ओर से इकबाली जबाव पेश किया गया, पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी शेष प्रतिवादीगण की और से कोई जबावदावा पेश नहीं किया गया अतः जबाव बन्द किया गया। प्रतिवादी क्रम 14 सरकार की ओर से जबाव पेश कर दर्ज जमाबन्दी हिस्सा अनुसार विभाजन में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम बिहारीपुरा की नकल

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉ (राज०)

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी खाता संख्या 106 पेश की जो प्रदर्श–1 है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यू–1 वादीनी गीताबाई के बयान दर्ज कराये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादपत्र के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 से स्पष्ट है कि ग्राम बिहारीपुरा तहसील शाहावाद स्थित आराजी खसरा नम्बर 280/393 रकवा 6.14 बीघा में वादीनी का हिस्सा 7/16 दर्ज है, जिससे वादीनी वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 7/16 की सहखातेदार होना भलिभांति साबित है। यधपि वादीनी ने अपने वादपत्र में अपना हिस्सा 7/16 उत्तरी ओर स्थित होने का कथन किया है, परन्तु प्रस्तुत नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 से स्पष्ट है कि वादीनी ने उक्त आराजी हिस्सा 7/16 मूलखातेदार सांवल्या के वारिसान से क्रय की है अतः वादीनी हिस्सा 7/16 की स्ट्रेन्जर पर्चेजर है, जो विधिवत अपनी हिस्सा आराजी 7/16 का विभाजन कराये बिना किसी पर्टीकूलर हिस्से की अधिकारिणी नहीं हो सकती और विवादित भूमि में वादीनी का हिस्सा 7/16 उत्तरी नहीं माना जा सकता, परन्तु वादीनी का विवादित भूमि में 7/16 हिस्सा निहित है, जिसे वादीनी विधिवत विभाजन कराये जाने की अधिकारिणी है।

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 08–01/2019 को इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी की गई कि ग्राम बिहारीपुरा तहसील शाहाबाद स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 280/393 रकवा 6.14 बीघा में से वादीनी हिस्सा 7/16 का विभाजन अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के सिद्वान्त के आधार पर किया जाता है।

पत्रावली में पूर्व सुनवाई के बाद प्रारम्भ डिक्री जारी कर विवादित आराजी के अच्छी में से अच्छी एवं हल्की में से हल्की भूमि के विभाजन प्रस्ताव तहसील से तलब किये जो शामिल मिसल है। अतः मुताविक विभाजन प्रस्ताव आराजी का निम्न प्रकार विभाजन स्वीकार किया जाता है।

क्र सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदारान	खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान
1	बिहारीपुरा	राजेन्द्र, जन्धु पुत्र रामकिशन सूरती स्व0 पत्नि रामकिशन,प्रहलाद, हरकेश पुत्र माखनदेह कस्ता पुत्रीयां व मथरी बेवा मनफूल हरिओम पुत्र मिथलेश टोटो पुत्रीयां व नरवदी बेवा भोगीलाल कोम सहरिया साकिन मामोनी	280/393	3.07 बीघा	बारानी चतुर्थ	1.00
2	बिहारीपुरा	गीता बाई पत्नि श्यामलाल कौम सहरिया साकिन मामोनी	280/393/1	2.18 बीघा	बारानी चतुर्थ	0.81
3	बिहारीपुरा	पाना पुत्री सांवलिया सहरिया साकिन मामोनी	280/393/2	0.09 बीघा	बारानी चतुर्थ	0.20

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी का विभाजन किया जाता है। विभाजन के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। अंतिम डिग्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को लिखा जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बाराँ (राज०)

Scanned by CamScanner